

## 10 प्रतिशत राशि की करवानी होगी कटौती

झुंझुनू, 02 नवम्बर : राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग की उप निदेशक सरिता सैनी ने बताया कि परीवीक्षाधीन कर्मचारियों को भी अपने वेतन की 10 प्रतिशत राशि एनआरएस योजना में कटौती करवानी होगी। उन्होंने कहा है कि जिले में पदस्थापित समस्त कार्मिक जिन पर एनपीएस योजना लागू है, वे ऑनलाईन प्रान नम्बर जारी नहीं करवाए, इसके लिए ऑफलाईन आवेदन पत्र भरकर उसे संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर कार्यालय को प्रस्तुत करें।

-----